न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः–311/18 (आरसीएमएस नं. 2018/00119)

01. मदन लाल पुत्र श्री रामदेव जांगिड़, जाति जांगिड़, निवासी ग्राम चारां का बास, पोस्ट परसरामपुरा, तहसील नवलगढ, जिला झुन्झनू।
02. श्रीमती मोहनी पत्नी स्व. श्री जगदीश,
03. ओमप्रकाश पुत्र स्व. श्री जगदीश,
04. दयानन्द पुत्र स्व. श्री जगदीश,
05. अशोक कुमार पुत्र स्व. श्री जगदीश
06. मनोज कुमार पुत्र स्व. श्री जयराम,
07. चौथमल पुत्र स्व. श्री जयराम,
08. राजेश कुमार पुत्र स्व. श्री जयराम,
09. श्रीमती संतोषदेवी पत्नी स्व. श्री जयराम,
10. आशा कुमारी पुत्री स्व. श्री जयराम, जाति जांगिड़, निवासी ग्राम परसरामपुरा, तहसील नवलगढ, जिला झुन्झुनू।

––अपीलान्ट्स

बनाम

01. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ, तहसील नवलगढ, जिला झुन्झुनू।

––रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांकः 10.04.2019

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ जिला झुन्झुनू के आदेश दिनांक 26.12.2017 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि ग्राम भरवाड़ी तहसील नवलगढ, जिला झुन्झुनू स्थित भूमि खसरा नम्बर 262 रकबा 5.40 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 302 रकबा 2.99 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय अन्य भूमि खसरा नम्बर 300 व 301 के साथ अपीलार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है, राजस्व भू अभिलेखों में अपीलार्थीगण का नाम खातेदार कृषक के रूप में दर्ज है। उन्होने आगे कथन किया है कि तहसीलदार नवलगढ द्वारा दिनांक 26.12.2017 को जो पत्र उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़ को प्रेषित किया गया उसके साथ मूल प्रस्ताव व जांच रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई जिसमें यह स्पष्टतः उल्लेखित किया गया कि खसरा नम्बर 262 रकबा 5.40 हैक्टयर व खसरा नम्बर 302 रकबा 2.99 हैक्टयर अपीलार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है परन्तु फिर भी उक्त भूमि खसरा नम्बर 262 में से 0.0848 हैक्टयर भूमि तथा खसरा नम्बर

समर्थन एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना दिनांक 26.12.2017 को आदेश पारित कर उक्त प्रस्तावित रास्ते की तरमीम राजस्व नक्शें में किये जाने का अपीलाधीन आदेश पारित फरमा दिया गया जो विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.12.2017 को निरस्त फरमाया जावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 262 एवं खसरा नम्बर 302 अपीलार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.12.2017 पारित किया गया है, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण उसे उचित नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.12.2017 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ जिला झुन्झुनू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुऐ प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 10.04.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।